न्यायालय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ।
पीठासीन पदाधिकारी– राकेश कुमार पाण्डेय,
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 939/2026
के0नगर थाना कांड सं0– 67/2026
आदेश की तिथि – 09.07.2026

****

न्यायालय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, पूर्णियॉ।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 939/2026
सी.आई.एस. नं0– 939/2026

मनीष कुमार ऋषि उम्र 23 वर्ष
पिता– स्वं0 अवधेश ऋषि
ग्राम– पछिया टोला वार्ड नं0–3, थाना– मुफस्सिल रानीपतरा
जिला–पूर्णियॉ ..... *आवेदक/अभियुक्त*

वनाम

बिहार राज्य ..... *विरोधी पक्ष*

अभियोजन पक्ष की ओर से :– श्रीमती पूर्णिमा सिन्हा,विशेष लोक अभियोजक,

अभियुक्त की ओर से :– श्री प्रीतम कुमार, विद्वान अधिवक्ता

****

09.07.2026

आवेदक **मनीष कुमार ऋषि** जिसे के0नगर थाना काण्ड संख्या– 67/2026, अन्तर्गत धारा 96, 3(3) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

सूचिका के आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में है कि दिनांक 26.02.2026 की रात्रि को करीब 10 बजे रात्रि में घर से शौच करने के लिए खेत के तरफ निकली और वापस नहीं आयी। खोजबीन में पता चला कि एक लड़का मनीष कुमार ऋषि उसे बहला फुसलाकर गलत नियत से उसे लेकर फरार हो गया है। जानकारी के बाद लड़का के घर पर कहने गयी तो लड़का की बहन राखी देवी उसे मारपीट करने पर उतारू हो गई तथा धमकी दिया कि अगर दोबारा उसके घर पर आयेगी तो जान से मार देगें।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे स्थानीय राजनीति के तहत गलत रूप से फॅसा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत और बनावटी है। आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पीड़िता के बयान से यह मामला प्रेम प्रसंग का है। आगे कथन किया गया है कि आवेदक पीड़िता का अपहरण नहीं किया है, बल्कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने के कारण पीड़िता आवेदक से शादी करना चाहती थी परन्तु उसके माता पिता तैयार नहीं था, और वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ शादी कर ली। आगे कथन है कि मामला उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है और उभय पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से न्यायालय में सुलहनामा दाखिल किया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना करते है कि आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ।
पीठासीन पदाधिकारी– राकेश कुमार पाण्डेय,
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 939/2026
के0नगर थाना कांड सं0– 67/2026
आदेश की तिथि – 09.07.2026

****

लगातार

09.07.2026

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत का विरोध किया।

अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद है, और प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्ध अभियोग है कि वह सूचिका की नावालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया जिसका समर्थन अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने किया है जो कांड दैनिकी के कंडिका 2, 6, 7 के परीशीलन से होता है। कांड दैनिकी के साथ पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है, उसमें उल्लेखित जन्म तिथि तथा मामले में घटना तिथि से गणना करने पर घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष 10 माह 17 दिन होती है जिससे यह प्रतीत होता है कि पीड़िता घटना के समय नावालिग थी तथा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान प्रारम्भिक स्तर पर है

अतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त अपराध को कारित करने में आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता को दर्शाने वाले उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार, आवेदक अभियुक्त **मनीष कुमार ऋषि** की अग्रिम जमानत की प्रार्थना को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति के0नगर थाना कांड सं0– 67/2026 में संलग्न करने हेतु कार्यालय को प्रेषित करें।

(लेखापित)
ह0/–
(राकेश कुमार पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ।

Dated of Judgment/Order	09-07-2026
date of Reserving Judgment/ Order	N/A
Uploading Date	13-07-2026
Uploaded by	Steno of the Court